

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020.....11212

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, नालंदा,
जमुई, बांका, शिवहर, अरवल, जहानाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया),
खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, पटना, भोजपुर (आरा),
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), वैशाली, भागलपुर, सारण, सिवान, गया, दरभंगा,
समस्तीपुर, रोहतास एवं मुजफ्फपुर।

प्राचार्य,

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 17-11-2020

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों (संविदा कर्मियों सहित) को वेतन एवं संविदा सेवाएँ मद में 9,10,09,000/- (नौ करोड़ दस लाख नौ हजार) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुंगेर	3000000	630000	300000	100000	60000	1900000	5990000
2	शेखपुरा	3000000	630000	300000	100000	60000	800000	4890000
3	लखीसराय	3000000	630000	300000	100000	60000	1600000	5690000
4	बेगूसराय	3000000	630000	300000	100000	60000	600000	4690000
5	सुपौल	3000000	630000	300000	100000	60000	360000	4450000
6	किशनगंज	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
7	नालंदा	3000000	630000	300000	100000	60000	2200000	6290000
8	जमुई	3000000	630000	300000	100000	60000	180000	4270000
9	बांका	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
10	शिवहर	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	अरवल	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
12	जहानाबाद	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
13	सीतामढ़ी	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
14	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	3000000	630000	300000	100000	60000	0	4090000
15	पटना	3000000	630000	480000	100000	60000	180000	4450000
16	खगड़िया	500000	105000	50000	20000	20000	1100000	1795000
17	सहरसा	500000	105000	50000	20000	20000	360000	1055000
18	मधेपुरा	500000	105000	50000	20000	20000	360000	1055000
19	पूर्णियाँ	500000	105000	50000	20000	20000	180000	875000
20	अररिया	500000	105000	50000	20000	20000	180000	875000
21	कटिहार	500000	105000	50000	20000	20000	180000	875000
22	भोजपुर (आरा)	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
23	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	500000	105000	50000	20000	20000	180000	875000
24	वैशाली	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
25	भागलपुर	500000	105000	50000	20000	20000	180000	875000
26	सारण	500000	105000	50000	20000	20000	3300000	3995000
27	सिवान	500000	105000	50000	20000	20000	180000	875000
28	गया	500000	105000	50000	20000	20000	180000	875000
29	दरभंगा	500000	105000	50000	20000	20000	180000	875000
30	समस्तीपुर	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
31	रोहतास	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
32	मुजफ्फरपुर	100000	21000	10000	3000	4000	180000	318000
33	राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	500000	105000	50000	20000	20000	0	695000
34	सहायक निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाण	1000000	210000	160000	80000	16000	1500000	2966000
कुल योग :-		54600000	11466000	5700000	1923000	1260000	16060000	91009000

(नौ करोड़ दस लाख नौ हजार रुपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।
6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020.....11212 पटना, दिनांक 17-11-2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020.....11212 पटना, दिनांक 17-11-2020
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय)
को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020.....11212 पटना, दिनांक 17-11-2020
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020.....11212 पटना, दिनांक 17-11-2020
प्रतिलिपि :- सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण